

(ग) क्या सरकार का विचार, सामान्य बीमा कम्पनियों के कार्य के बारे में जांच करने के लिये खोले गये विभाग को, बन्द करने का है ?

बिस्व मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमा-  
चारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जीवन बीमा निगम एक सांवि-  
धिक निकाय है जो जीवन बीमा निगम  
अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित किया  
गया है । निगम का हिसाब-किताब और  
रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जाती हैं और  
इसलिए निगम अपने कार्यों के लिए संसद  
के प्रति उत्तरदायी है । बीमा अधिनियम,  
1938 का भाग II-क, जिसका सम्बन्ध  
भारतीय बीमा संस्था, संस्था के परिषदों  
और उनकी समितियों से है, जीवन बीमा  
निगम पर लागू नहीं होता । साथ ही  
निगम को सामान्य बीमा परिषद् की कार्य-  
कारी समिति के नियंत्रण में रखने से कोई  
लाभ नहीं होगा, जिसमें मुख्यतः सामान्य  
बीमा जखोग के ही प्रतिनिधि होते हैं ।

(ग) सरकार ने ऐसा कोई विभाग  
नहीं खोला है । इसलिए उसे बन्द करने  
का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER  
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DECLARATION OF EMERGENCY IN A  
MANIPUR SUB-DIVISION AND NECES-  
SITY FOR CALLING OF TROOPS

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अवि-  
लम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर  
गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना  
करता हूँ कि वह इस बारे में एक बकव्य दें ;

“मणिपुर के उच्चायुक्त द्वारा वहाँ के  
एक सबडिविजन में की गयी आपात की घोषणा  
और सेना के बुलाए जाने की आवश्यकता ।”

The Deputy Minister in the Ministry  
of Home Affairs (Shri L. N. Mishra):  
Sir, on receipt of reliable information  
that groups of Nagas were returning  
with arms and ammunition from  
Pakistan and were likely to pass  
through the territory of Manipur on  
their way to Nagaland, the Chief Com-  
missioner declared the sub-divisions  
of Churachandpur and Tengnoupal as  
disturbed areas under section 3 of the  
Armed Forces (Assam and Manipur)  
Special Powers Act, 1958, for a period  
of one month with effect from March  
1, 1965. The Governor of Assam and  
the Chief Commissioner of Manipur  
have been exercising their powers  
under the Act mentioned above from  
time to time, whenever, in their opi-  
nion, circumstances made such a step  
necessary. I might add here that in  
addition to the two sub-divisions  
mentioned above, the Jiribam sub-  
division has been under a similar  
declaration for the same reasons for  
some time past.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मेरा  
सवाल यह है कि जो मणिपुर का पूर्वी सीमा का  
विभाग है वह तो पाकिस्तान के नजदीक है  
लेकिन सटाहुआ नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी  
इलाका है वह बर्मा से सटा हुआ है ।  
क्या सरकार के पास इस बात की कोई शिकायत  
है कि जो हथियारी नागा पाकिस्तान से नागा-  
लैंड की ओर बढ़ रहे हैं वे बर्मा होते हुए  
उखरूल, टंगनोपाल आदि जो इलाके हैं  
उन में से हो कर गुजर रहे हैं और उनको  
रोकना सम्भव नहीं हो रहा है क्योंकि इस  
इलाके में शस्त्र सन्धि की स्थिति कायम की  
गयी है । एक ओर पूरव की तरफ पाकिस्तान  
है लेकिन वह दूर है, बीच में कछार आदि का  
इलाका है, वहाँ (पूर्वी क्षेत्र में) आपात की  
घोषणा की जाती है, लेकिन जो बर्मा से सटा  
हुआ इलाका है उस में शस्त्र सन्धि है ।  
बर्मा हमारा मित्र राष्ट्र है । इसलिए मैं  
सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार  
इस शस्त्र सन्धि की स्थिति को समाप्त करेगी  
और बर्मा सरकार से विनती करेगी  
कि ये जो हथियारी नागा वापस लौ

रहे हैं उनको रोकने के काम में वह हमारी सेना की सहायता करे ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह जो सूचना अपने दी है कि नागा लौट रहे हैं वह सही है, लेकिन उनका खास रास्ता क्या है यह कहना कठिन है, लेकिन जो सबडिवीजन हमारे राज्य में पड़ते हैं उनकी ओर से आने की भी संभावना रही है, इसलिए हमने घोषणा की है। जहां तक बर्मा की ओर से आने का सवाल है इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री मधु लिमये : उखरूल और टंगनोपाल तो हमारे मणिपुर के इलाके में पड़ते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि जो आपका बर्मा के बारे में सवाल था, उसके बारे में उनको सूचना नहीं है।

क्योंकि यह आगका सत्रेशन है, इस पर ध्यान रखा जायेगा।

श्री ज० भ० कृपालानी (अमरोहा) : हम पूछ सकते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है।

12:05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE  
 AUDIT REPORT, DEFENCE SERVICES, 1965

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): Sir, on behalf of Shri T. T. Krishnamachari I beg to lay on the Table a copy of the following papers:—

(i) Audit Report, Defence Services, 1965, under article 151(1) of the Constitution. [Placed in Library, see No. LT-3961/65].

(ii) Appropriation Accounts of the Defence Services for the year 1963-64 and Commercial Appendix thereto. [Placed in Library, see No. LT-3962/65].

REPORT OF STUDY TEAM ON IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL ORGANISATION

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of Report (Part I) of the Study Team on the Import and Export Trade Control Organisation. [Placed in Library, see No. LT-3963/65].

NOTIFICATION re GOLD BONDS AND KERALA GENERAL SALES TAX ACT

Shri B. R. Bhagat: On behalf of Shri Rameshwar Sahu, I beg to lay on the Table—

(1) a copy of Notification No. F. 4(2)—W&M/65, dated the 27th February, 1965, regarding issue of 7 per cent Gold Bonds, 1980. [Placed in Library, see No. LT-3964/65].

(2) a copy each of the following Notifications making certain further amendments to the Kerala General Sales Tax Rules, 1963, under sub-section (3) of section 57 of the Kerala General Sales Tax Act, 1963, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 10th September, 1964, issued by the President in relation to the State of Kerala:—

(i) S.R.O. 205/64 dated the 7th July, 1964.

(ii) S.R.O. 242/64 dated the 13th August, 1964.

[Placed in Library, see No. LT-3965/65].

12:06 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

“(1) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and